



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 452 राँची, शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2022 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

13 सितम्बर, 2022

सं०-14/ए०-123/2014- 3687--श्री नौशाद आलम, भा०पु०से०, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय-प्रथम, हजारीबाग सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, राँची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए विभागीय जापन संख्या-7079, दिनांक-13.12.2017 के परिशिष्ट-‘क’ के आधार पर यह आरोप गठित किया गया कि हजारीबाग सदर थाना कांड संख्या-174/95, दिनांक-31.05.1995 में फरार अभियुक्त श्री जे०डी० नंदी उर्फ जयन्त दलाल नंदी को गलत रूप से मृत दिखाते हुए प्रतिवेदन देकर उन्हें लाभ पहुँचाने, न्यायालय को दिग्भ्रमित करने एवं वरीय पदाधिकारियों को अंधकार में रखने का आरोप प्रथम द्रष्टया सत्य पाया गया है ।

2. उपरोक्त आरोप की जाँच के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या-636, दिनांक-30.01.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई ।

3. संचालन पदाधिकारी के ज्ञापांक-186/गो०, दिनांक-08.05.2019 द्वारा समर्पित मंतव्य में श्री नौशाद आलम, भा०पु०से० के विरुद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है ।

अतः सरकार के सम्यक् विचारोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री नौशाद आलम, भा०पु०से०, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय-प्रथम, हजारीबाग सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, राँची को आरोपमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही का निस्तार किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप तिग्गा,
सरकार के अपर सचिव ।
